न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 4/2015 (डूंगरपुर आर्डर)

अमरजी पिता रतना रोत मीणा, निवासी कहारी अ, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. मनजी पिता सोमा ननोमा मीणा, निवासी कहारी अ, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

2. भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान
भू–राजस्व अधि.1956 विरूद्ध निर्णय
जिला कलक्टर, डूंगरपुर दिनांक
22–04–2015 प्रकरण सं. 17/12

———/———

उपस्थित :– 1– श्री दिनेश चन्द चौबीसा अभिभाशक अपीलान्ट
2– श्री ए. एस. गौरी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं0 1
3– राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

———::———

निर्णय दिनांक

25–04–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक आवेदन धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कहारी अ की आराजी नंबर 1244/464 रकबा 10 बीघा भूमि विपक्षी संख्या 1 को मिसल संख्या 1011/1973 से आवंटित की गयी, जिस पर 60 वर्षो से कब्जा प्रार्थी का चला आ रहा है तथा उसने भूमि को विकसित किया है। प्रार्थी ने यह भी तर्क दिया कि आराजी नंबर 1144/464 रकबा 3 बीघा गौतम पिता देवा को दिनांक

08–08–1961 को आवंटित की गयी है। उक्त 3 बीघा को नक्शा ट्रेस में 10 बीघा बताकर प्रार्थी ने अपील पेश की है, जबकि गौतम को 10 बीघा का आवंटन ही नहीं किया गया। मौके पर प्रार्थी आराजी नंबर 1144/464 पर काबिज होकर मकान बना रखा है व कुंआ खोद रखा ह तथा 6 छोटे–छोटे एनिकट बना रखे हैं। विपक्षी को आराजी नंबर 1244/464 रकबा 10 बीघा का रेकार्ड में कहीं पर भी इन्द्राज नहीं है एवं विपक्षी को नामान्तरकरण संख्या 190 से खातेदारी हक भी आराजी नंबर 1144/464 के प्रदान किये गये हैं। प्रार्थी का तर्क है कि पटवारी द्वारा नक्शा एवं खसरा नंबरों में परिवर्तन करने से मौके पर विवाद उत्पन्न होकर विपक्षी, आवंटी गौतम एवं प्रार्थी के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। अतएवं विपक्षी संख्या 1 को आराजी नंबर 1244/464 रकबा 10 बीघा का किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

उक्त प्रकरण दर्ज होने पर विपक्षी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया एवं बताया कि आराजी नंबर 1144 रकबा 10 बीघा पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है एवं न ही उसक मकान, कुंआ एवं एनिकट हुए हैं, बल्कि आवंटन पूर्व से विपक्षी संख्या 1 का मकान बना होकर वह उसमें परिवार सहित निवास करता है तथा उसका बेरोकटोक कब्जा चला आ रहा है। उसे नियमानुसार आवंटन किया गया है। विपक्षी को परेशान करने की गरज से उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 22–04–2015 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 26–06–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री ए. एस. गौरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 राज्य सरकार की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराया तथा बताया कि विपक्षी को आवंटित पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय में पेश ही नहीं हुई। आवंटन का रेकार्ड पेश करने पर ही स्पष्ट हो सकता है रेस्पोन्डेन्ट को किस खसरा नंबर का कौन सा भाग आवंटित किया गया है। विपक्षी संख्या 1 ने मिसरिप्रेजेन्टेशन से आवंटन प्राप्त किया है। आवंटित भूमि अपीलान्ट की भूमि से मिली हुई है, जिस पर अपीलान्ट का 60 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है तथा उसने मौके पर निजी वन विकास कर रखा है। अपीलान्ट को निजी वन विकास हेतु 10 बीघा का आवंटन फरवरी 1985 में किया गया था, जिसमें उसने काफी मेहनत मजदूरी कर विकसित किया है। प्रार्थी अपीलान्ट गरीब काश्तकारी होकर पुराने कब्जे के आधार पर नियमन की पात्रता रखता है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई विचार नहीं किया है। अतएवं अपील स्वीकार कर रेस्पोन्डेन्ट को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के नाजायज कब्जे को नियमन करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने आवंटन विधिवत होना बताया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

प्रकरण में हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो यह प्रकट आया कि मौका पर्चा दिनांक 23–02–2015 जो पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया गया है, उसके अनुसार विवादित भूमि पर कब्जा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का है तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को दिनांक 21–06–1973 को विधिवत आवंटन किया गया है तथा आवंटन पश्चात उसे खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा आवंटन निरस्ती का आवेदन भी वर्ष 2012 में अर्थात आवंटन के 39 वर्षो बाद प्रस्तुत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य अनुसार प्रकरण में विधिवत विवेचन करते हुए अपीलान्ट/प्रार्थी का आवंटन निरस्ती का आवेदन खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22–04–2015 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25–04–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर